

उपाध्यक्ष, योजना आयोग का उद्घाटन भाषण
राष्ट्रीय विकास परिषद की 51वीं बैठक
(27 जून, 2005)

मैं माननीय प्रधानमंत्री को उनके उद्घाटन भाषण के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी बात आरंभ करना चाहूँगा। उद्घाटन भाषण में दसवीं योजना के शेष वर्षों में और आगामी ग्यारहवीं योजना में नीति निर्माण के संबंध में सामने आनेवाली चुनौतियों की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है।

प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात का उल्लेख किया है कि यद्यपि दसवीं योजना के पिछले दो वर्षों से हम 7 से 8 प्रतिशत के बीच विकास दर में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं, दसवीं योजना का औसत विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना नहीं है।

इस मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति उभर कर सामने आई है उसकी मिली जुली तस्वीर प्रस्तुत की गई है। इसमें कई मजबूतियाँ हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण कमजोरियाँ भी हैं।

सकारात्मक पक्ष के संबंध में मैं निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दूँगा :-

- वर्ष 2004 के मध्य में मुद्रास्फीति चिन्ताजनक थी; अब इस पर नियंत्रण है।
- बाह्य भुगतान स्थिति बहुत ही संतोषजनक है और विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर काफी ऊँचा है।
- निजी निगमित क्षेत्र के निवेश में नीतिगत बदलाव हुआ है
- प्रथम दो वर्षों में औद्योगिक विकास कम था लेकिन वर्ष 2004-05 में इसमें पुनरुत्थान हुआ; औद्योगिक क्षेत्र में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
- बहुत से क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ी है। साफ्टवेयर और आईटी सक्षम सेवाओं में सफलता सुप्रसिद्ध है। किन्तु फर्मास्यूटिकल्स, आटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेन्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी में भारतीय फर्मों का निष्पादन भी सराहनीय है।
- बचत की दर ऊँची है और केन्द्र की राजकोषीय घाटे की स्थिति में कमी आई है।
- भारत के प्रति अंतरराष्ट्रीय अवधारणाएं सकारात्मक हैं। अंतरराष्ट्रीय तौर पर दुनिया मानती है कि यदि उपयुक्त नीतियाँ अपनाई जाए तो भारत संघारणीय आधार पर आठ प्रतिशत का विकास लक्ष्य प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम है। एफडीआई आकर्षण की संभाव्यता पहले की तुलना में ज्यादा अनुकूल है।

इन सकारात्मक विशेषताओं के विपरीत मध्यावधि मूल्यांकन में कई कमजोर क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है जिनमें तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

- वर्ष 1980-81 से वर्ष 1995-96 की अवधि के दौरान कृषि विकास दर 3.2 प्रतिशत से घटकर बाद में 2 प्रतिशत औसत तक हो गई। यह दसवीं योजना के आधे लक्ष्य से भी कम है ।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अवसंरचना की अपर्याप्तता आयात में प्रतियोगी होने तथा निर्यात बाजार में पैठ बनाने की हमारी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। खराब अवसंरचना लगभग निश्चित तौर से दो अंकीय स्तर तक पहुंचने से औद्योगिक विकास में बाधक होगी ।
- सामाजिक क्षेत्रक में दसवीं योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग समानता आदि में निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किया था। हम कई क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं ।
- अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन प्रत्याशा के अनुकूल नहीं है । पिछले तीन वर्षों में संगठित क्षेत्र के रोजगार में पूर्णतः कमी हुई है।
- परस्पर राज्यों में और कई मामलों में राज्यों के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में चिन्ताएं बढ़ रही हैं।
- तेल की ऊँची कीमतों से कुछ अनिश्चितता पैदा होती है और इससे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

मध्यावधि मूल्यांकन में कई सुझाव दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने पहले ही कुछ अति महत्वपूर्ण पहलों के बारे में उल्लेख किया है विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्रक, रोजगार एवं ग्रामीण विकास । मैं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ही फोकस करूंगा।

एक ऐसा क्षेत्र जहां सुधारात्मक नीतियों की तत्काल आवश्यकता है वह कृषि क्षेत्र है जहां यह पूर्ण रूप से आवश्यक है कि 1996 के बाद के वर्षों में कृषि में पाई गई गिरावट को पूर्णरूप से बदला जाए । क्योंकि कृषि मंत्री इस क्षेत्र से संबंधित बहुत से मुद्दों का उल्लेख करेंगे, इसलिए मैं अपनी टिप्पणी जल के बारे में ही सीमित रखूंगा जो कि कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है।

हमें सिंचित और शुष्क भूमि वाले दोनों क्षेत्रों में वर्तमान कार्यनीतियों की प्रभावकारिता के बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। देश की अधिकतम सिंचाई क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर है। हमने 100 मिलियन हेक्टेयर की क्षमता सृजित कर ली है परंतु वास्तव में हम मात्र 85 मिलियन हेक्टेयर क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, कुछ आन-फार्म निर्माण कार्यों के पूरा न होने के कारण और कुछ फसल प्रणाली का जल सघन प्रणाली में परिवर्तित हो जाने के कारण, जिनसे उन क्षेत्रों के विस्तार में कमी हुई है जिन्हें सिंचित किया जा सकता है।

388 बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाएं चालू हैं जो 8 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई संभाव्यता में वृद्धि कर सकती हैं। इन चालू परियोजनाओं को पूरा करने का खर्च अनुमानतः

91,000 करोड़ रुपये है जबकि राज्य और केन्द्रीय वित्तपोषण दोनों को एक साथ मिलाने पर वित्त पोषण की वर्तमान मात्रा प्रति वर्ष केवल लगभग 13,700 करोड़ रुपये है। अगले चार वर्षों में इन चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, जैसाकि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में परिकल्पित किया गया है, प्रतिवर्ष सिंचाई का आवंटन लगभग 6500 करोड़ रुपये तक बढ़ाना आवश्यक होगा। हमलोग इस अंतर के कुछ हिस्से को पूरा करने लिए एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के आवंटन को बढ़ाने के क्षेत्र का पता लगा रहे हैं। यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो राज्यों को भी अपने संसाधनों से इस क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि करनी होगी।

जबकि हम चालू परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें सिंचाई परियोजनाओं में जल उपयोग की बहुत कम क्षमता की समस्या का समाधान करना होगा। यह 25 से 35 प्रतिशत तक है जबकि इसे 60 से 65 प्रतिशत के बीच होना चाहिए यदि नहर नेटवर्क का समुचित रख-रखाव किया जाए। सिंचाई विभागों/निगमों में संसाधनों की कमी एक बड़ी समस्या है जो खराब रखरखाव का कारण है।

अब मेरा ध्यान उपभोक्ता प्रभार की कठिन समस्या की ओर आता है। वर्तमान में जल शुल्क, संचालन एवं अनुरक्षण लागत का मात्र पांचवां या अधिक से अधिक एक चौथाई ही कवर करता है तथा अधिकांश लाभार्थी ग्रामीण गरीब नहीं हैं। यदि प्रणाली बिगड़ने दी गई तो दीर्घावधि में उन्हें भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। कुछ राज्यों ने जल शुल्क बढ़ाने हेतु उपाय शुरू किए हैं जिसमें जल शुल्क निर्धारण संबंधी नियामक प्राधिकरण की स्थापना एवं जल उपभोक्ता संगठनों द्वारा भागीदारी सिंचाई प्रबंधन जैसे संस्थागत सुधार शुरू हो गये हैं। इस दिशा में हमें अधिक तेजी से बढ़ने की आवश्यकता है। मध्यावधि मूल्यांकन में प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण करके किसान संगठनों को जल शुल्क संग्रह करने तथा उन्हें अनुरक्षण हेतु संग्रह राशि का 50% अपने पास रखने की अनुमति देने की बात कही गई है। जल नियामक भू-जल स्थिति से जुड़े पानी वाले फसलों के लिए उच्च जल शुल्क भी निर्धारित कर सकते हैं।

भू-जल उपयोग के संबंध में भी स्थिति बहुत चिंतनीय है। जहां भू-जल के अत्यधिक निकासी के कारण कई क्षेत्रों में वाटर टेबल में खतरनाक रूप से कमी हो जाती है। मात्र नये ट्यूबवेल पर प्रतिबंध लगा देने से ही इस स्थिति में सुधार नहीं होगा। क्योंकि इसका कार्यान्वयन मुश्किल है तथा हर हालत में यह वर्तमान पम्प मालिकों को पानी लेने और यहां तक कि अन्य किसानों को बेचने का भी एकाधिकार मिल जाएगा। मुफ्त अथवा बहुत सस्ते दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की नीति भू-जल की अत्यधिक निकासी करने को बढ़ावा देती है तथा स्पष्ट रूप से समस्या पैदा करती है।

मध्यावधि मूल्यांकन में और अधिक युक्तिसंगत विद्युत दर निर्धारित करने की बात कही गई है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि उन क्षेत्रों में जहां भू-जल की प्रचण्ड रूप से

कमी हो गई हो वहां कृषि के लिए विद्युत दर का अलग से निर्धारण हो। जहां भू-जल में कमी की स्थिति अत्यधिक गंभीर हो वहां इन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो सिंचाई सब्सिडी नीति को भू-जल स्थिति से भी जोड़ देना चाहिए। इन प्रयासों को भू-जल रिचार्ज को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों से जोड़ देना चाहिए।

वर्तमान में वर्षा सिंचित क्षेत्रों खेती योग्य क्षेत्र का दो तिहाई है तथा इन क्षेत्रों के लिए बांधों, तालाबों, कृत्रिम रिचार्ज कुओं आदि के निर्माण के माध्यम से जल संरक्षण हेतु विगत में हमारे पास कई जल संभर कार्यक्रम थे परंतु इन स्कीमों को उनसे संबंधित कई विभागों के होने से, कार्यक्रम डिजाइन में कम ज्ञान व समुदाय का पर्याप्त रूप से शामिल न होने से नुकसान हुआ है। कुछ उत्कृष्ट सफलताएं भी हैं, विशेषरूप से, जहां एनजीओ ने समुदाय को गतिमान करने में तथा कार्यक्रम डिजाइन में सहायता की है, परंतु सरकारी स्कीमों के साथ आम अनुभव बहुत कम सकारात्मक है।

हमने कुछ ही शोधन योग्य बंजर भूमि एवं सूखा प्रवण क्षेत्रों को कवर किया है तथा जलसंभर विकास परियोजनाओं से उन्हें परिपूर्ण करना उच्च प्राथमिकता होनी चाहिये। जलसंभर पहल के अन्तर्गत शोधन की जाने वाली कुल भूमि अनुमानतः 107 मिलियन हेक्टेयर होगी जिसमें से नौवीं योजना की समाप्ति तक विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 29 मिलियन हेक्टेयर का शोधन हो चुका है। शेष क्षेत्र को कवर करने के लिए कुल 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी। भविष्य में इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधन दिये जाने होंगे। मध्यावधि मूल्यांकन में सुझाया गया है कि एसजीआरवाई/काम के बदले अनाज और शुष्क भूमि वाले जिलों में आरएसवीवाई के अंतर्गत भी उपलब्ध कराये जा रहे वर्तमान संसाधनों को इस प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

मध्यावधि मूल्यांकन का मुख्य संदेश यह है कि यदि भारत को प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करनी है तो विद्युत, सड़क, पत्तन, वायुपत्तन, और रेल जैसे अवसंरचना क्षेत्रों में व्यापक निवेश की आवश्यकता होगी। इसके लिए केन्द्र व राज्य दोनों के द्वारा नवीन कार्रवाई की आवश्यकता है। अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए परंतु आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों की कुल निवेश इतनी अधिक होगी कि तथा मात्र सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर हो कर इन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मध्यावधि मूल्यांकन इस क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी का विस्तार करने हेतु सामूहिक प्रयास की सिफारिश करता है।

केन्द्र सरकार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण पहलें की हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी एक समिति बनाई गई है जिससे कि सड़क, रेल, हवाई अड्डों व पत्तनों के मुख्य क्षेत्रों में निगरानी योग्य कार्य-योजना तैयार की जा सके।

सड़क क्षेत्र के मामले में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें वर्ष 2012

तक इस क्षेत्रक के लिए 172,000 करोड़ रुपये का कुल निवेश शामिल है।

- अधिकांश हिस्सा बीओटी परियोजनाओं के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से होगा जहां केन्द्र सरकार सबसे कम स्वीकार्य सब्सिडी हेतु पूंजी सब्सिडी आधारित प्रतियोगी समनुदानग्राही के रूप में व्यवहार्य अंतराल वित्त पोषण करेगा।
- एनएचडीपी III तथा एनएचडीपी II के भागों के अंतर्गत लगभग 12000 कि. मी. की चार लेन तथा स्वर्णिम चतुर्भुज पर लगभग 5000 कि.मी. की छः लेन वाली सड़कें पूर्णतः बीओटी के माध्यम से बनाई जाएगी।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष त्वरित सड़क कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्रक में कार्यान्वित की जाएगी।

सड़क क्षेत्रक परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन में राज्य सरकारों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से जहां भूमि अधिग्रहण तथा अतिक्रमण दूर करने की आवश्यकता है।

पत्तनों का भी विशेष रूप से प्रमुख विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि भविष्य में उच्च विकास में निर्यात एवं आयात दोनों का त्वरित विकास शामिल होगा। इस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी ने बहुत अच्छा कार्य किया है जैसा कि कुछ मुख्य पत्तनों पर देखा गया है जहां लांगल स्थान (वर्थ) का विस्तार पूर्ण रूप से निजी क्षेत्रक द्वारा किया गया है। भविष्य में, अल्प सार्वजनिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग ड्राफ्ट को गहरा करने के लिए शीर्ष पत्तनों में निकर्षण हेतु किया जाता है जिससे कि बड़े जहाज हमारे पत्तनों तक आ सकें जबकि बर्थ विस्तार एवं तटीय कार्य निजी उद्यमियों के लिए छोड़ दिया जाए।

वायु संपर्क का तेजी से विस्तार होना तय है तथा हमें अपेक्षित विस्तार से निपटने हेतु अपने हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने हेतु तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। यह नीति अपनाई जा रही है कि ऐसे हवाई पत्तन जो पूर्णतः वाणिज्यिक आधार पर प्रचालन का कार्य कर सकते हैं उन्हें विकास और निजी क्षेत्र द्वारा प्रचालन का अवसर दिया जाएगा जो यह सुनिश्चित करता है कि वे क्षमता और गुणवत्ता के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। व्यस्त विमान-पत्तनों की राजस्व शेयर के आधार पर बोली लगाई जाएगी। जहाँ पर हवाई पत्तन स्वयं सक्षम नहीं हैं, निजी निवेश को आकर्षित करने में वहाँ पर पूंजीगत सब्सिडी की आवश्यकता होगी।

बेंगलूर और हैदराबाद के लिए दो निजी क्षेत्रक हवाई पत्तनों की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। दिल्ली और मुम्बई से संबंधित रियायत दस्तावेजों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और पूर्व अर्हता प्राप्त बोली दाताओं को शीघ्र ही बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। चेन्नई, कोलकाता और कुछ अन्य हवाई पत्तनों का भी इसी आधार पर विस्तार किया जा सकता है।

रेलवे में भी व्यापक उन्नयन और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है विशेष रूप से भाड़ा संचलन के क्षेत्र में, जो कि सकल घरेलू उत्पाद विकास के लिए महत्वपूर्ण है। रूट किलो मीटर में भारतीय रेलवे की तुलना चीन के रेलवे से की जा सकती है परन्तु चीन की रेल-प्रणाली भारतीय रेलवे की तुलना में चार गुना माल ढोती है। भारतीय रेलवे पाँच गुना यात्री ढोती है परन्तु यह खण्ड उत्पादक क्षमता के विस्तार से बहुत कम सम्बद्ध है तथा अधिकांश घाटे में हैं। चीन में माल ढोने की अधिक क्षमता अत्यधिक निवेश स्तरों को प्रतिबिम्बित करती है। 1992-2002 के दशक में, हमने रेल में 17 बिलियन डालर का निवेश किया जबकि चीन ने इसका पाँच गुना निवेश किया।

रेलवे का आधुनिकीकरण और सुधार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है और 11वीं योजना में इसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी बीच दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं :

- मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता तक एक अनावृत रेल माल भाड़ा दीर्घा का विनिर्माण किया जाएगा जिसका प्रचालन रेलवे के स्वामित्व वाले एक अलग रेलवे माल भाड़ा निगम द्वारा किया जाएगा। एक संभाव्यता अध्ययन शुरू किया गया है और परियोजना विदेशी सहायता हेतु जापान सरकार के सामने प्रस्तुत की जाएगी।
- कंटेनर ट्रैफिक के संचलन में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत करने के लिए, एक नए निजी क्षेत्रक अथवा संयुक्त उद्यम कंटेनर संचलन निगम संबंधी कार्यक्षेत्र का पता लगाया जा रहा है।

विद्युत क्षेत्रक कई मामलों से हमारी संरचना का सबसे कमजोर भाग है। समस्या का मूल वितरण खंड की वित्तीय अव्यवहार्यता है जो कि आंशिक रूप से कतिपय उपभोक्ता वर्गों के लिए अवास्तविक कम टैरिफ के कारण और ज्यादा अकुशल और भ्रष्टाचार से होने वाले लीकेज और चोरी तथा बिल तैयार करने में की गई गड़बड़ियों के परिणामस्वरूप होती है।

सभी राज्य विद्युत बोर्डों में, लगभग 28,000 करोड़ रुपये का कुल नुकसान दर्ज किया गया। तथापि, प्रयुक्त गणना प्रक्रिया के कारण यह आँकड़ा अपने आप में एक अनुमान ही हो सकता है। योजना आयोग द्वारा पेशेवर लेखाकारों की सहायता से किए गए, कुछ राज्य विद्युत बोर्डों के लेखों का परीक्षण, यह दर्शाता है कि यदि सही लेखा-विधि अपनाई जाए तो वास्तविक हानियां अधिक हो सकती हैं।

केन्द्र सरकार इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि यह मुख्य रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। विद्युत अधिनियम 2003 नीतिगत ढांचा स्थापित करता है जो राज्य सरकारों को प्रणाली में सुधार करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

- अधिकांश राज्यों में, क्रॉस सब्सिडी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

युक्तिसंगत आधार पर दरसूची को नियत करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई है।

- अधिकांश राज्यों में प्रणाली को समेकित नहीं किया गया है जिससे कि आवंटन खण्ड जो कि कोर समस्या क्षेत्र है, की तकनीकी और वित्तीय सक्षमता की पहचान और सुधार की जा सके।
- विधिक ढांचा, खुली पहुंच की शुरुआत की अनुमति प्रदान करता है जिससे उन उपभोक्ताओं को जो विद्यमान आवंटन प्रणाली द्वारा भुगतान करने में समर्थ हैं और आवंटन कंपनी को उचित प्रभार का भुगतान करते हैं, को बिजली की आपूर्ति की जा सके। योजना आयोग खुली पहुंच को, विद्युत क्षेत्रक के सुधार में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में समझता है जिससे प्रणाली में आवश्यक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होगी तथा कमियां दूर करने हेतु निवेश को आकर्षित करेगा। राज्य सरकारों की खुली पहुंच की शुरुआत में तेजी करनी चाहिए।

इस विकासों के बावजूद, प्रगति सीमित है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि संस्थागत परिवर्तन में काफी समय लगता है और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना और प्रयोग करना बाकी है। तथापि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां निष्पादन में सुधार का औद्योगिक विकास और प्रतिस्पर्धा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। लघु, मध्यम और घरेलू उद्योग जो अपना ग्रहीत उत्पादन नहीं कर सकते उन्हें विद्युत क्षेत्रक सुधारों से अधिक लाभ होगा। यह एक ऐसा क्षेत्रक है जिसमें रोजगार सृजन की सर्वाधिक संभावना है।

अंत में, मैं क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या से संबंधित एक नई पहल का अवश्य ही उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके संबंध में मैंने पहले संकेत किया था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि नाम का एक नया कार्यक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव है जो पहचान किए गए पिछड़े क्षेत्रों के लिए संसाधन मुहैया कराएगा। वर्तमान आरएसवीवाई कार्यक्रम को इस नये कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा जिसके लिए उच्च स्तर के वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। आशा की जाती है कि इस नये कार्यक्रम का विस्तृत विवरण शीघ्र ही घोषित कर दिया जाएगा।

मैंने संसाधनों के उन कठिन मुद्दों का उल्लेख नहीं किया है जो हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गति पैदा करने में केन्द्र और राज्यों दोनों की क्षमता पर दबाव डालते हैं। मध्यावधि मूल्यांकन में इस संबंध में अनेक सुझाव शामिल हैं। वित्त मंत्री अपना प्रस्तुतीकरण पेश करते समय इन मुद्दों पर और अधिक प्रकाश डालेंगे।

केवल ये ही कुछ क्षेत्र हैं जिनमें सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। मध्यावधि मूल्यांकन के अलग-अलग अध्यायों में लगभग 318 नीतिगत सिफारिशों की पहचान की गई है। इनमें से कुछ सामान्य प्रकृति की हैं और इनका समय पर ही क्रियान्वयन किया जा सकता है। उन पहलों पर जिनमें दसवीं योजना के शेष वर्षों में तीव्र और अधिक समावेशी विकास सृजन करने में तत्काल प्रभाव की अधिक संभावना है, पर ध्यान केन्द्रित

करने के लिए हमने 59 प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान की है तथा इन्हें सिंहावलोकन अध्याय में सूचीबद्ध किया गया है ।

मैं इन सुझावों पर मुख्यमंत्रीगण के विचार जानना चाहूँगा ।

धन्यवाद ।